न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 36 / 2019 Gcms No. 2019 / 00222

दायरा तिथि 17.06.2019

निर्णय दिनांकः 04.08.2021

वादी :–

विनोदकुमार अग्रवाल पुत्र भागीरथजी अग्रवाल जाति अग्रवाल
निवासी शिवेरा 30 बंगला नम्बर 7, प्रहलाद नगर, सैटेलाईट, अहमदाबाद (गुजरात)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मीनु गहलोत पत्नि दीपक गहलोत
2. दीपमाला पत्नि जतिनजी गहलोत जातिगण माली
   निवासीगण 606, जाटावास, रेडियो स्टेशन के पीछे, महामन्दिर, जोधपुर तह0 जोधपुर
3. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री हेमन्त बोहरा — अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री दिनेश गहलोत — अभिभाषक प्रतिवादी सं0 01, 02 की ओर से
3. श्री नरेन्द्र चौहान नायब तहसीलदार................ — पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 4-8-2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत ग्राम बेडा II पटवार हल्का बेडा चक–02 तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा 3416 रकबा 14.88 हैक्टर का रेकर्ड में दर्ज वादी का 6.88 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 8.00 हैक्टर अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2076 की प्रति, एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉं प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या–01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत ने जवाबदावा पेश कर रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार भूमि विभाजन किये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की। जिससे प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2020 को दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने न्यायालय आदेश की पालना में विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली द्वारा तैयार विभाजन रिपोर्ट कम्प्युटराईज्ड जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज के अनुसार तैयार कर पेश की गई। उक्त रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का संयुक्त 1/2 हिस्सा मानते हुये रिपोर्ट तैयार की गई, जबकि वादग्रस्त भूमि में वादी का 6.88 हैक्टर एवं प्रतिवादीगण के 8.00 हैक्टर भूमि दर्ज थी। जिससे उक्त विभाजन रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति करने से दिनांक 20.08.2020 को तहसीलदार, बाली से पुनः विभाजन रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांकः भू0अ0 / 2021 / 1250 दिनांक 22.07.2021 से पुनः रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार भूमि प्रस्तावित करते हुये पेश की गईः–

क्रं. सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
1	मीनु गहलोत पत्नि दीपक गहलोत कौम माली, दीपमाला पत्नि जतिनजी गहलोत कौम माली निवासी 606 जाटावास रेडियो स्टेशन के पीछे जोधपुर खातेदार	3416	8.00 हैक्टर	पेटा तालाबी	128.00	पीला
2	विनोदकुमार अग्रवाल पुत्र भागीरथजी अग्रवाल कौम अग्रवाल सा. अहमदाबाद रिवेश 30 बंगला नम्बर 7, प्रहलाद नगर, सैटेलाईट, अहमदाबाद खातेदार	3416 / 1	6.88 हैक्टर	पेटा तालाबी	110.08	गुलाबी

तहसीलदार, बाली से पुनः रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपस्थित वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री हेमन्त बोहरा ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति प्रकट कर इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। वकील प्रतिवादी श्री दिनेश गहलोत ने भी तहसीलदार, बाली द्वारा पुनः प्रेषित विभाजन प्रस्ताव से सहमति प्रकट कर इसी अनुसार फाईनल डिक्री जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया।

पेज लगातार....

उपखण्ड अधिकारी
बाली–पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 36/2019 Gcms No. 2019/00222

अनवान विनोदकुमार बनाम मीनु गहलोत वगैरा अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम बेडा II पटवार हल्का बेडा चक–02 तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा 3416 रकबा 14.88 हैक्टर किस्म पेटा तालाबी कुल लगानी 238.08 रूपये के सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत तहसीलदार, बाली के पत्रांकः भू0अ0/2021/1250 दिनांक 22.07.2021 से प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैं:–

क्रं. सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
1	मीनु गहलोत पत्नि दीपक गहलोत कौम माली, दीपमाला पत्नि जतिनजी गहलोत कौम माली निवासी 606 जाटावास रेडियो स्टेशन के पीछे जोधपुर खातेदार	3416	8.00 हैक्टर	पेटा तालाबी	128.00	पीला
2	विनोदकुमार अग्रवाल पुत्र भागीरथजी अग्रवाल कौम अग्रवाल सा. अहमदाबाद रिवेश 30 बंगला नम्बर 7, प्रहलाद नगर, सैटेलाईट, अहमदाबाद खातेदार	3416/1	6.88 हैक्टर	पेटा तालाबी	110.08	गुलाबी

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम करने के लिये तहसीलदार, बाली पटवारी हल्का बेडा चक–02 को लिखा जावे। कुल लगान राशि 238.08 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक के बतौर नो.ज्यु. स्टाम्प पेश होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 5-8-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)